

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II)
F. No. I-14011/03/2023-IPS-I (E) (I)
Government of India
Ministry of Home Affairs

New Delhi, Date: 15.02.2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Goa Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Joint AGMUT Cadre (Goa Segment) under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List 2022

Sl. No	Name of the Officer (S/Shri/Ms.)	Date of Birth
1.	V. U. Borkar	18.12.1967

2. The aforesaid officer will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.



(Anjan Sarkar)

Under Secretary to the Government of India
Tel. 011-23094008

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Minto Road, New Delhi-110064
(Through e Gazette)

No. I-14011/03/2023-IPS.I (E) (I)

New Delhi, Date 15.02.2024

A copy each is forwarded to: -

1. Ministry of Home Affairs (**Shri Rakesh Kumar Singh, Under Secretary (UTS I)**). North Block, New Delhi with the request that the officer concerned may be intimated of his status in the Select List along with a copy of the Notification.
2. Secretary, Union Public Service Commission, Dhoolpur House, Shahjahan Road, New Delhi - for information.
3. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.
4. Sr. Tech. Dir. (NIC) for placing on MHA IPS Portal under link https://ips.gov.in/App_AGMUT_Goa.aspx. and 'What's New' Section under heading **Select List 2022-Goa**.



(Anjan Sarkar)

Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड II में प्रकाशनार्थ)

संख्या. I-14011/03/2023-IPS I (इ) (I)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15.02.2024

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवा पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत अगमूट (गोवा खण्ड) संवर्ग प्रदान करते हैं:-

चयन सूची 2022

क्रमसं०	अधिकारियों के नाम (श्रीमती/श्री)	जन्म तिथि
1.	वी यू बोरकर	18.12.1967

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5(4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

अंजन

(अंजन सरकार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष- 011-23094008

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली।

संख्या. I-14011/03/2023-IPS I (इ) (I)

नई दिल्ली दिनांक: 15.02.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- गृह मंत्रालय (श्री राकेश कुमार सिंह, अवर सचिव) नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली- यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारी को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए।
- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली
- निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (NIC एन आई सी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने। (https://ips.gov.in/App_AGMUT_Goa.aspx) under heading Select List 2022.

अंजन

(अंजन सरकार)

अवर सचिव, भारत सरकार